

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 29 जुलाई, 2010

संख्या वैब 5/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2010. — संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क, और ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में.—

- (i) अनुसूची क में, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी और अप्रैल, 2010 के प्रथम दिन से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
“10	2009—10 के दौरान उपभोग के लिए जब राज्य में सभी प्रकार की मदिरा प्रथम बार बेची गई अर्थात् देशी मदिरा के मामले में, अनुज्ञप्ति—13 तथा भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के मामले में अनुज्ञप्ति 1 ख तथा अनुज्ञप्ति— 1 क ख तथा बीयर तथा शराब इत्यादि के मामले में अनुज्ञप्ति —1 ख—1 तथा अनुज्ञप्ति —1— क ख—1 आर. टी. वी. (पीने के लिए तैयार पेय के लिए) अनुज्ञप्ति —1 क ख—क द्वारा, अनुज्ञप्ति —1 ख च द्वारा बेची गई भारतीय विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) के सिवाए	4 प्रतिशत अधिभार सहित, यदि कोई हो।”;

- (ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 4 क और उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा और अप्रैल, 2010 के प्रथम दिन से लोप किया गया समझा जाएगा ।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।